भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †292

सोमवार, 5 फरवरी, 2024/16 माघ, 1945 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु सतत पर्यटन रीतियों को बढ़ावा

†292. श्री चंद्र शेखर साहू:
श्री राहुल रमेश शेवाले:
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विविध भूगोल और ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है, जो पूरे विश्व से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या देश, विशेषकर ओडिशा में विश्व का एक शीर्षस्थ पर्यटन केन्द्र बनने की अपार क्षमता है;

(ग) क्या ट्रैकिंग, राफ्टिंग और स्कीइंग जैसी गतिविधियां पर्यटकों के बीच लोकप्रिय हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या भारत का विविध भौगोलिक क्षेत्र पर्वतों, समुद्र तटों और वनों से युक्त है, जिससे यह साहसिक पर्यटन के लिए एक आदर्श गंतव्य बनता है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ट्रैकिंग, राफ्टिंग और स्कीइंग की सुविधाएं विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है तथा पर्यटन के शीर्षस्थ केंद्र के रूप में इसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग करने हेतु इन चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा विशेषकर ओडिशा में और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने और विश्व में एक शीर्ष गंतव्य बनने के लिए चुनौतियों का समाधान करने और संधारणीय पर्यटन रीतियों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ड.): भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विविध भूगोल और ऐतिहासिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है । ओडिशा राज्य सहित भारत में विश्व का एक शीर्षस्थ पर्यटन केंद्र बनने की अपार क्षमता है । भारत का विविधतापूर्ण भूगोल है जिसमें पर्वत, समुद्र तट और वन शामिल हैं, जो इसे साहसिक पर्यटन के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाता है। ट्रेकिंग, राफ्टिंग और स्कींग जैसे क्रियाकलाप पर्यटकों के बीच लोकप्रिय हैं ।

भारत को वैश्विक स्तर पर एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने साहसिक पर्यटन संबंधी राष्ट्रीय कार्यनीति तैयार की है । सचिव (पर्यटन) की अध्यक्षता में साहसिक पर्यटन संबंधी राष्ट्रीय बोर्ड का गठन किया गया है जिसमें चिह्नित केंद्रीय एजेंसियों/संगठनों, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों और औद्योगिक हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल हैं । यह बोर्ड देश में साहसिक पर्यटन के संवर्धन और विकास के परिचालन और कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शन देता है ।

साहसिक पर्यटन गंतव्यों सहित अन्य गंतव्यों पर पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ।

भारतीय स्कींग एवं पर्वतारोहण संस्थान, ट्रेकिंग और स्कींग संबंधी पाठ्यक्रमों सहित विभिन्न एडवेंचर पाठ्यक्रम भी चलाता है ।

राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान, गोवा विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से जल क्रीड़ा संचालकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है ।

(च) और (छ): चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पर्यटन मंत्रालय ने ओडिशा सहित देश में पर्यटन क्षेत्र के विकास और संवर्धन के लिए विभिन्न योजनाओं/पहलों के तहत कई कदम उठाए /उपाय किए हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:

i. पर्यटन मंत्रालय 'आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार' (डीपीपीएच) तथा 'विदेशों में संवर्धन और प्रचार (ओपीपी)' की अपनी योजनाओं के तहत विभिन्न पहलों के माध्यम से ओडिशा राज्य सहित भारत का समग्र रूप से संवर्धन करता है । अपने चल रहे कार्यकलापों के भाग के रूप में, भारत के विभिन्न पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों का संवर्धन करने के लिए मंत्रालय ''अतुल्य भारत'' ब्रांड लाइन के तहत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नियमित रूप से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन और आउटडोर मीडिया अभियान चलाता है । पर्यटन मंत्रालय अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्रचार के माध्यम से भी विभिन्न पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों का नियमित रूप से संवर्धन करता है ।
ii. पर्यटन मंत्रालय देश में पर्यटन संबंधी अवसंरचना के विकास के लिए 'स्वदेश दर्शन', 'तीर्थस्थान जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) संबंधी राष्ट्रीय मिशन' और 'पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता' योजनाओं के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों/केंद्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है ।
iii. पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटक और गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए स्थायी और जिम्मेदार गंतव्यों के विकास के उद्देश्य से अपनी स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) का नया रूप दिया है । एसडी 2.0 के तहत ओडिशा राज्य में 'खिंदा गांव' के विशिष्ट आकर्षण सहित 'कोरापुट, डेबरीगढ़ गंतव्यों को विकास हेतु चिह्नित किया गया है ।

iv. पर्यटन मंत्रालय ने स्थायी पर्यटन संबंधी राष्ट्रीय कार्यनीति तैयार की है । पर्यटन मंत्रालय ने स्थायी पर्यटन संबंधी राष्ट्रीय कार्यनीति के अनुसार ट्रैवल फॉर लाइफ पहल की शुरूआत की है। ट्रैवल फॉर लाइफ का लक्ष्य पर्यटन संसाधनों की खपत हेतु पर्यटकों तथा पर्यटन व्यवसायों के लिए उठाए गए सुविचारित और सुनियोजित कदमों के माध्यम से देश में स्थायी पर्यटन का संवर्धन करना है ।

v. देश में स्थायी और जिम्मेदार पर्यटक गंतव्यों तथा स्थायी पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) और रिस्पॉनसिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया (आरटीएसओआई) के सहयोग से देश के विभिन्न क्षेत्रों के राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को कवर करते हुए क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया । ओडिशा राज्य सहित पूर्वी क्षेत्र के राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए दिनांक 11.01.2023 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

vi. विदेशी पर्यटकों सहित विदेशियों के वैध आवागमन के उद्देश्य से सरकार ने वैध विदेशी यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वीजा व्यवस्था को उदार, स्ट्रीम लाइन और सरल बनाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई पहलें की हैं । 167 देशों के नागरिकों के लिए 07 उप-श्रेणियों अर्थात ई-पर्यटक वीजा, ई-व्यवसाय वीजा, ई-चिकित्सा वीजा, ई-चिकित्सा सहायक वीजा, ई-आयूष, ई-आयूष सहायक वीजा और ई-सम्मेलन वीजा हेतु ई-वीजा की सुविधा प्रदान की गई है। वीजा शुल्क को भी काफी हद तक कम किया गया है ।

vii. महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों तक हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने अपनी आरसीएस-उड़ान योजना के तहत नागर विमानन मंत्रालय के साथ सहयोग किया है । अब तक 53 पर्यटन रूटों को संचालित किया गया है ।

viii. आगंतुकों को बेहतर पर्यटक अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय अखिल भारतीय अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाप्रदाता (आईआईटीएफ) प्रमाणन कार्यक्रम नामक एक डिजिटल पहल चला रहा है जिसका लक्ष्य देशभर में सुप्रशिक्षित और पेशेवर पर्यटक सुविधाप्रदाताओं/गाइडों का एक समूह तैयार करने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफार्म का सृजन करना है।

ix. अन्य निश विषयों के साथ-साथ ग्रामीण पर्यटन, इको-पर्यटन, एडवेंचर पर्यटन, माइस आदि जैसे थीमेटिक पर्यटन को उत्साहपूर्ण रूप से प्रोत्साहित किया जाता है ताकि अन्य क्षेत्रों में पर्यटन के दायरे को बढ़ाया जा सके ।

x. पर्यटन, यात्रा और संबद्ध क्षेत्रों के स्थायी प्रबंध में विशेष प्रशिक्षण, शिक्षा, अनुसंधान और परामर्श प्रदान करने के लिए भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम) की स्थापना की गई है ।

xi. मंत्रालय के समर्थन से 68 होटल प्रबंध संस्थान (आईएचएम) जिनमें 21 आईएचएम, 33 राज्य आईएचएम, 2 राज्य आईएचएम (पीपीपी मोड के तहत चालू) शामिल हैं और 12 फूड क्राफ्ट संस्थान (एफसीआई) अस्तित्व में आए हैं ।

xii. बेहतर मानक सेवा प्रदान करने के लिए श्रमशक्ति को प्रशिक्षित और उन्नत करने हेतु 'सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण' (सीबीएसपी) के तहत कार्यक्रमों का संचालन।

xiii. पर्यटकों के विभिन्न स्तरों के लिए अपेक्षित मानकों के अनुपालन हेतु विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए पर्यटन मंत्रालय स्टार रेटिंग प्रणाली के तहत होटलों को वर्गीकृत करता है । पर्यटन मंत्रालय ने आतिथ्य उद्योग का राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (या निधि) नामक एक प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली स्थापित की है जो माननीय प्रधानमंत्री के ''आत्मनिर्भर भारत'' के विज़न के अनुसार है और डिजिटलीकरण की सुविधा और आतिथ्य एवं पर्यटन क्षेत्र हेतु व्यापार में सुगमता प्रदान करने के लिए है । इस पहल को न केवल आवास इकाइयों, बल्कि ट्रैवल एजेंटों, टूर ऑपरेटरों, पर्यटक परिवहन ऑपरेटरों, खाद्य और पेय इकाइयों, ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स, कन्वेंशन सेंटर और पर्यटक सुविधाप्रदाताओं की अधिक समावेशिता के लिए निधि+के रूप में अपग्रेड किया गया है ।

*****